संख्या–1029 / 9–आ–1–1999

प्रेषक

श्री रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश शासन।
2.आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 04 जून,1999

विषय : विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित / विकसित योजनाओं से आवंटित भूखण्डों पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य न किये जाने पर आवंटन आदेश का निरस्तीकरण।

महोदय,

1. उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आको यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिषद तथा विकास प्राधिकरण की आवंटित सम्पत्तियों में अधिकांश आवंटियों द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया गया है बल्कि उस पर पशुपालकों द्वारा डेरियां संचालित की जा रही है। ऐसी डेरियां बिना आवंटियों की सहमति के संचालित नहीं हो सकती हैं। आप सहमत होंगे कि आवासीय कालोनियों में डेरियों के संचालन से पर्यावरणीय वातावरण दूषित होने के साथ–साथ यातायात के सफॅल संचालन में कठिनाई होती है। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि शहर के मध्य में संचालित दुग्ध डेरियों को शहर से बाहर परिषद / प्राधिकरण द्वारा विकसित पशुपालक कालोनियों में पशुओं का स्थानान्तरित न किये जाए।

2. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे यह भी निर्देशित करना है कि विकास प्राधिकरण / परिषद के कालोनियों में आवंटित जिन भूखण्डों पर निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत निर्माण कार्य नहीं कराया गया है उन्हें पर्याप्त नोटिस देकर आवंटन निरस्तीकरण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भूखण्डों पर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने के समय भी इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि भूखण्ड पर डेरी का संचालन तो नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो यह समयावधि न बढ़ाई जाए।

3. कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव